

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(Handwritten signature)

है। आदेश सुनाया गया।

की प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तकनीक देखिल दफ्तर
जारी NOT PRESS इसी स्तर पर खरिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश
आगे चलाना नहीं चाहते एवं NOT PRESS करना चाहते है। अतः यह अपील अपीलांत
पत्र के अनुसार अभिभाषक अपीलांत हिदायत पेशी नहीं होने के कारण इस अपील को
के आदेश दिनांक 03.07.2008 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचारधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना
किया। यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर
हमने अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन
खरिज कराना चाहते है।

करना चाहते है। अतः उक्त अपील अभिभाषक अपीलांत NOT PRESS के आधार पर
की अपील में आगे चलाने की हिदायत पेशी नहीं है। अभिभाषक इसमें आगे पेशी नहीं
अपीलांत ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनगन
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक
आज यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांत श्री जयवंत लाल सारस्वत के द्वारा

7.1.21

1. श्रीमति धन्वी देवी पति पुराम जति नाथक निवासी लाडवा तहसील बीकानेर।
2. युन्नी बेवा आरुम जति नाथक निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. नरुम पुत्र आरुम जति नाथक निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास बीकानेर।
5. स्टेट, जरी तहसीलदार बीकानेर।

बनाम

रामा देवी पति सुरजाम पुत्री आरुम जति नाथक निवासी करमीसर जिला निवासी
मीनासर तहसील बीकानेर।

अनगन:

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 67/2012 अंतर्गत धारा-90(बी)(7) एल.आर.एकट

हुस या काववाही मय इनिशीयल्स जल

तारीख
हस्ताक्षर